# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
# मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/सी.आर./सेल–2/2015/117 भोपाल, दिनांक 04.07.2015

## आदेश

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 8/2006/17/मेडि–1, दिनांक 08.09.2006 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/1128/1523/2005/9–1, दिनांक 24.06.2005 द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखने की संशोधित प्रणाली प्रसारित की गई है।

उक्त संशोधित प्रणाली के परिपालन में 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियों के लेखन/मतांकन हेतु डॉ. के.के. ठस्सू, प्रभारी संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को संचालक, चिकित्सा सेवायें की हैसियत से एवं डॉ. बी.एन. चौहान, संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की हैसियत से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के लेखन/मतांकन हेतु अधिकृत किया जाता है।

*प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा आदेशित।*

04/VII/15

**(शैलबाला मार्टिन)**
अपर संचालक (गोपनीय)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश

*बेटी बचाओ – बेटी है तो कल है*

E:\D-K-Bagde-2015\letter of Govt-2015.doc

पृ. क्रमांक/4/सी.आर./सेल–2/2015/118 भोपाल, दिनांक 04.07.2015

प्रतिलपिः– सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

01. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 243 दिनांक 19.06.2015 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

02. डॉ. बी.एन. चौहान, संचालक, एन.एच.एम., मध्य प्रदेश।

03. डॉ. के.के. ठस्सू, प्रभारी संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।

04. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के अधीन की संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के वर्षान्त 2015 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन डॉ. के.के. ठस्सू, प्रभारी संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के अधीन की संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के वर्षान्त 2015 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन डॉ. बी.एन. चौहान, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को प्रेषित करेंगे।

05. समस्त संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

06. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

07. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार वर्षान्त 2015 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भेजने की कार्यवाही करें।

08. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

09. समस्त अधिकारीगण संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।

10. अधीक्षक, जे.एस.आर., इटारसी/के.एन.के., भोपाल/सिविल अस्पताल, बैरागढ, भोपाल।

11. निज सचिव, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।

12. स्टॉक फाईल।

अपर संचालक (गोपनीय)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
# मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / सी.आर. / सेल–2 / 2015 / ***92*** भोपाल, दिनांक 04.06.2015

प्रति,

01. संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान सिटी. सेन्टर, ग्वालियर।
02 संचालक, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा संचार ब्यूरो, भोपाल।
03. संचालक, राज्य क्षय प्रत्याक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल।
04. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (गैस राहत सहित), मध्यप्रदेश।
05. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय, मध्यप्रदेश।
06. समस्त प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, म.प्र.।
07. समस्त संयुक्त संचालक सह अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
08. अधीक्षक क्षय चिकित्सालय भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर / छिंदवाड़ा एवं नौगांव जिला छतरपुर।
09. अधीक्षक, सिविल अस्पताल, के.एन.के., भोपाल / रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर / जे.एस.आर., इटारसी / जे.एन.एच., गैस राहत भोपाल एवं बैरागढ़ भोपाल।
10. संचालक, मानसिक चिकित्सालय, ग्वालियर / इंदौर, म.प्र.।
11. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय एवं जिला जेल, म.प्र.।
12. पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
13. कमान्डेंट विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन, मध्यप्रदेश।
14. प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
15. समस्त अधिकारीगण संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।

**विषयः– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पदस्थ राजपत्रित अधिकारियों के 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।**

**संदर्भः– संचालनालय का परिपत्र क्रमांक 27 दिनांक 20.02.2015।**

==0==

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों एवं परिपत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभिन्न राजपत्रित संवर्गो के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के लेखन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे। जिसके पालन में समय–सीमा में दिये गये निर्देशानुसार वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन मतांकन उपरांत संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रायः यह देखने में आया है कि विभाग में राजपत्रित संवर्गों के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन समय पर नहीं लिखे जाते है और इन प्रतिवेदनों के समय पर नहीं लिखे जाने से संवर्ग प्रबंधन में अनेक कठिनाइयों का सामना विभाग को करना पड़ता है।

**2.** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने के सम्बंध में जो समय सारिणी निर्धारित की गई है वह निम्न प्रकार है :–

1. प्रतिवेदित अधिकारी (जिनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने है) द्वारा प्रतिवर्ष **30 अप्रैल** तक स्व–मूल्यांकन पत्रक भरकर प्रतिवेदक अधिकारी (जिसे वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखना है) को प्रस्तुत किया जायेगा। (प्रपत्र संलग्न)।

2. प्रतिवेदक अधिकारी प्रति वर्ष **15 मई** तक अपना मत अंकित कर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन समीक्षक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

3. समीक्षक अधिकारी प्रति वर्ष **31 मई तक** वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों में मतांकन कर स्वीकारकर्ता अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

4. स्वीकारकर्ता अधिकारी प्रति वर्ष **15 जून** तक अपना मतांकन कर इसे उचित स्तर पर भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखने हेतु अग्रेषित करेंगे।

**3.** विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध होने पर स्थायीकरण, क्रमोन्नति एवं पदोन्नति की बैठकें आयोजित करने में सुविधा होगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन मे मतांकन हेतु निर्धारित समय सारिणी एवं संचालनालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देश व निर्धारित प्रणाली का पालन करते हुए आवश्यक कदम उठाये तथा निश्चित अवधि में मतांकन कर अगले क्रम के अधिकारी को वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यह विशेष रूप से ध्यान रहे कि प्रत्येक स्तर पर की गई कार्यवाही से संचालनालय को भी अवगत कराया जाये।

**4.** सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक अपने अधिनस्थ पदस्थ सभी अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन कर प्रगति से मुझे अवगत कराऐं।

***5. चिकित्सकों के 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के साथ वर्क आउटपुट रिपोर्ट (मॉनिटरिंग रिपार्ट अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक) प्रति हस्ताक्षरित कर संलग्न करना भी सुनिश्चित करें।***

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

**(शैलबाला मार्टिन)**
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

*बेटी बचाओ – बेटी है तो कल है*

पृ. क्रमांक / 4 / सी.आर. / सेल–2 / 2015 / ***93*** भोपाल, दिनांक 04.06.2015

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र., भोपाल।
02. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र, भोपाल।
03. सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
04. पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, भोपाल।
05. जेल महानिदेशक मध्यप्रदेश, भोपाल।
06. संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल।
07. संचालक, चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल।
08. संचालक गैस त्रासदी एवं राहत विभाग, भोपाल।
09. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल।
10. संचालक, तकनीकी शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
11. समस्त, संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
12. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / रीवा / जबलपुर / सागर।
13. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है कि आपके क्षेत्राधिकार के जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन के अधीन पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों के वर्ष 2015 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर मतांकन कर संचालनालय को शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

***बेटी बचाओ – बेटी है तो कल है***